भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 817
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

तमिलनाडु में वायु संपर्क

817. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु सहित देश भर में, विशेषकर दूरदराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में वायु संपर्क बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में कौन-कौन सी प्रमुख योजनाएं और पहल कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास और आधुनिकीकरण को किस प्रकार सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है;

(ग) आगामी वर्षों में उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना के विस्तार के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): सरकार ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार करके क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुगम बनाने/बढ़ावा देने के लिए दिनांक 21-10-2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना- उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) योजना आरंभ की है। तमिलनाडु में 26 मार्गों सहित 637 आरसीएस मार्गों को परिचालित किया गया है, जो देशभर में 15 हेलीपोर्टों और 2 वॉटर एयरोड्रोमों सहित 92 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ते हैं।

तमिलनाडु राज्य में, योजना के अंतर्गत आरसीएस उड़ानों के विकास और परिचालन के लिए चार हवाईअड्डों नामतः सलेम, वेल्लोर, नेवेली और तंजौर को चिह्नित किया गया है, जिनमें से सलेम हवाईअड्डे में प्रचालन आरंभ हो गया है। बढ़ते हवाई यातायात और यात्री मांग को पूरा करने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने वर्ष 2025-29 के लिए 23,000 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय योजना आरंभ की है। इस योजना में नए हवाईअड्डों और टर्मिनलों के निर्माण, मौजूदा सुविधाओं के विस्तार, रनवे और एप्रन संवर्द्धन, तथा नियंत्रण

टावरों और तकनीकी ब्लॉकों जैसी एएनएस अवसंरचना के माध्यम से हवाईअड्डों का विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण शामिल है।

(ग) : सरकार ने हाल ही में देशभर में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संशोधित उड़ान योजना आरंभ करने की घोषणा की है। यह योजना पर्वतीय, आकांक्षी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के ज़िलों में हेलीपैडों और छोटे हवाईअड्डों के निर्माण में भी सहायता करेगी।

(घ) : देश के सुरक्षा विनियामक, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमानन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। इनमें शामिल हैं:

डीजीसीए के पास विनियमों और नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) के अनुपालन की निगरानी के लिए एक सुदृढ़ सुरक्षा निरीक्षण प्रणाली विद्यमान है। इस प्रक्रिया में नियमित निगरानी, औचक जाँच, विनियामक और विशेष ऑडिट शामिल हैं।

डीजीसीए विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में निगरानी और औचक जांच के लिए मार्गदर्शन हेतु वार्षिक निगरानी योजना (एएसपी) प्रकाशित करता है।

ऑडिट, निगरानी गतिविधियों और औचक जांचों से प्राप्त निष्कर्षों का संबंधित प्रचालकों के साथ सख्ती से अनुवर्तन किया जाता है।

सुधारात्मक कार्रवाइयों के अनुपालन की पुष्टि की जाती है, तथा गहन समीक्षा के पश्चात ही कार्रवाई पूरी की जाती है। तत्पश्चात किए जाने वाले ऑडिट और निगरानी से भी इन कार्यों की प्रभावशीलता की जांच की जाती है।

दुर्घटनाओं और घटनाओं के आंकड़ों का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है।

******